

## प्रेस नोट दिनांक 28.09.2020

1. दिनांक 27.09.20 को वादी उ०नि० श्री दिवाकर यादव थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि देव शरण सिंह पुत्र दान बहादुर सिंह नि० मड़ना थाना गोसाईगंज अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 900 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 431/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 27.09.20 को वादी उ०नि० श्री मनोज कुमार सिंह थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुखराम निषाद पुत्र नौमी निषाद नि० सरायरासी थाना महाराजगंज अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 50 लीटर कच्ची शराब बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 416/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 27.09.20 को वादी श्री अनिल कुमार पुत्र राम उजागिर नि० आशापुर थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 38 टी 3634 डीसीएम का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भाई की मो०सा० में टक्कर मार देना जिससे प्रियांशू व अनुज का गम्भीर रूप घायल हो जाना, दौरान इलाज प्रियांशू की मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 436/20 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 27.09.20 को वादी श्री पंकज कुमार यादव पुत्र मनिराम यादव नि० पूरे कोदई थाना धम्मौर जनपद सुलतानपुर द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या एचआर 67 ए 2647 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भाई की मो०सा० में टक्कर मार देना जिससे वादी के भाई हरिकेश व हरिकेश पुत्र लाल बहादुर को चोटे आना दौरान इलाज वादी के भाई की मृत्यु हो व मो०सा० क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 707/20 धारा 279, 337, 338, 427 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 27.09.20 को वादी श्री राजेन्द्र मिश्र पुत्र रामकेवल नि० करौंदी थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कपिल दूबे पुत्र लालता प्रसाद दूबे नि० करौंदी थाना हैदरगंज अयोध्या आदि 03 नफर पुरानी बात को लेकर अभि०गण द्वारा लाठी डण्डे से मारना पीटना तथा गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 324/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 27.09.20 को वादी श्री करुणाकर दूबे पुत्र राम अभिलाख नि० हरीपुर मजरे जलालाबाद थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या एचआर 67 बी 3793 ट्रक का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के गाड़ी को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर देना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 380/20 धारा 279, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।